अन्य अनुदेशः–

1. प्रस्ताव की प्राप्ति पर नोडल अधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को
2. इसकी प्राप्ती की रसीद देगा जिसमे प्रस्ताव का नाम क्षेत्र हेक्टेयर में कम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।
3. यदि उपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नही है। कृपया अलग से ब्यौरा/दस्तावेजो को संलग्न करें।
4. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रायल भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधुरे प्रस्तावों पर विचार नही किया जाएगा।
5. राज्य सरकार समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अगषित करनें में विलम्ब हुआ तो इसके कारणों को अग्रेषण/पत्र में दिया जाना चाहिए।

सहायक अभियन्ता
लो० निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

(अनुदेश भाग–1 के लिए)

1. परियोजना अधिकारी कॉलम–1 (यथा अवतलन विश्लेषण रिर्पोट आदि के साथ मुख्य खनिजों/सी एम पी डी आई योजना के लिए आई बी एम अनुमादित खनन योजना को पूरा करने के अलवा अनुमादित परियोजना/योजना की एक प्रति संलग्न करेंगें।
2. मानचित्र मूल होने चाहिए और वह परियोजना अधिकारीयों और सम्बन्धित डी0सी0एफ0 कॉलम 1 (ii) द्वारा संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए।
3. सडक ट्रासंमिशन लाइने रेलवे लाइने नहर आदि जैसी परियोजना के मामले में विशेष रूप से जॉच किये गये वैकल्पिक संरेखण का पूर्ण विवरण होना चाहिए और मानचित्र में कॉलम 1 (iii) में दिये गये प्रत्येक विकल्प में शामिल वन भूमि क्षेत्र के विवरण दिये जाने चाहिए।
4. खनन से सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए वनेतर क्षेत्रो के चारो ओर/आस–पास उक्त खनिज की अनुनलब्धता के बारे मे जिला खनन पदाधिकारी जैसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
5. यदि उक्त कम्पनी/व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वन भूमि ली है तो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ–साथ अनुलग्न में दिये गये ऐसे सभी अनुमोदनों /पट्टो का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।
6. वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचनाए दिये गये कॉलम में उपयुक्त नही बैठते है तो उन्हे अलग से संलग्न किया जाना चाहिए।